

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 403]

नवा रायपुर, मंगलवार, दिनांक 21 जुलाई 2026 — आषाढ़ 30, शक 1948

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 18 जुलाई 2026

अधिसूचना

क्र. PROJ-41011/349/2026-C&I.— राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि राज्य में औद्योगिक विकास को अधिक गति प्रदान करने के लिए लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, अतएव, राज्य शासन, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक विकास नीति 2024-30 की कंडिका (12.29) एवं अध्याय स-2 की कंडिका क्रमांक 14 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसरण में, औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के माध्यम से राज्य में वृहद उद्योग की स्थापना हेतु, राज्य में “टेक्सटाईल” सेक्टर में निवेश हेतु, मेसर्स नरोल टेक्सटाइल इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड एनवायरों मैनेजमेंट (NTIEM) और इसके सदस्य उद्योगों के लिए विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज (बी-स्पोक पैकेज) का निर्धारण निम्नानुसार करता है:-

1. औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के अंतर्गत औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के लिए “टेक्सटाईल / गारमेंट सेक्टर” के लिए अध्याय स-2 में प्रावधान किए गए हैं। मेसर्स नरोल टेक्सटाइल इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड एनवायरों मैनेजमेंट (NTIEM) द्वारा राज्य में एकीकृत वस्त्र विनिर्माण एवं निजी औद्योगिक पार्क हेतु टेक्सटाईल / गारमेंट सेक्टर में लगभग 5,000 करोड़ रुपये निवेश एवं लगभग 25,000 व्यक्तियों हेतु रोजगार सृजित होना प्रस्तावित किया गया है।

2. इस पैकेज के अंतर्गत उक्त उद्यम के लिए निम्नानुसार अनुदान/छूट/रियायत की मदवार स्वीकृति की जाती है:-

(1) इकाई को इस पैकेज के निम्नानुसार निवेश प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे:

(i) स्थायी पूंजी निवेश अनुदान: 50%, रोजगार गुणक: 1-1.5, निर्यात गुणक: 1-1.2, दस वर्षों में वितरित।

(ii) ब्याज अनुदान: 5%, वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से 7 वर्ष।

(iii) ईपीएफ अनुदान: नियोक्ता (AOP के सदस्य) के अंशदान का 75%, 7 वर्षों के लिए।

(iv) रोजगार सृजन अनुदान: रु 5000 प्रति पुरुष कर्मचारी प्रति माह, रु 6000 प्रति महिला कर्मचारी प्रति माह। प्रति कर्मचारी 5 वर्षों के लिए, अधिकतम प्रथम वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से 7 वर्ष। वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने से तीन माह पूर्व से देय वेतन पर अनुदान देय होगा।

(v) प्रशिक्षण वृत्ति प्रतिपूर्ति: एक माह का वेतन, प्रति कर्मचारी अधिकतम ₹15,000 तक, तथा अधिकतम सीमा मान्य स्थायी पूंजी निवेश के 100% तक होगी। (छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों हेतु)

(vi) विद्युत अनुदान: हरित ऊर्जा की खपत पर रु 1 प्रति यूनिट की दर से अनुदान, प्रथम वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से 10 वर्षों तक।

(2) स्थायी पूंजी निवेश अनुदान निम्नानुसार टर्नओवर से संबंधित होगा:

वर्ष	टर्नओवर लक्ष्य (AOP के लिए) (रु. करोड़ में)
प्रथम	500
द्वितीय	1000
तृतीय	1500
चतुर्थ	2000
पंचम	2500
छटवाँ	2900
सातवाँ	3300
आठवाँ	3700
नौवाँ	4100
दसवाँ	4500

लक्ष्य का प्रतिशत	अनुदान का प्रतिशत
80% से अधिक	100%
70%-79%	90%
60%-69%	75%
50%-59%	60%
50% से कम	निरंक

(3) रोजगार गुणांक 1.0 से 1.5 तक परिवर्तित होगा, जो किसी AOP द्वारा सृजित रोजगार की संख्या पर निम्नानुसार आधारित होगा।

रोजगार	रोजगार गुणक
999 तक	1.0
1000-4999	1.1
5000-9999	1.2
10000-14999	1.3
15000-19999	1.4
20000 से अधिक	1.5

3. यह पैकेज निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा-

(1) नरोल टेक्सटाइल इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड एनवायरो मैनेजमेंट (NTIEM) को उद्यम आकांक्षा पंजीयन प्राप्त करना होगा।

(2) नरोल टेक्सटाइल इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड एनवायरों मैनेजमेंट (NTIEM) को निजी औद्योगिक पार्क विकसित करने हेतु औद्योगिक विकास नीति 2024-30 की कंडिका 12.13 में उल्लेखित निवेश प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे।

(3) नरोल टेक्सटाइल इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड एनवायरों मैनेजमेंट (NTIEM) द्वारा निजी औद्योगिक पार्क में मूलभूत कॉमन अधोसंरचना एवं सुविधाएं विकसित की जाएंगी एवं उनके सदस्यों को भूमि आबंटन किया जाएगा। AOP के सदस्यों द्वारा आबंटित भूमि पर विनिर्माण उद्यम स्थापित किया जाएगा।

(4) आर्थिक निवेश प्रोत्साहन की पात्रता AOP को इस पैकेज का लाभ तभी मिलेगा जब उसके सदस्यों द्वारा संयुक्ततः न्यूनतम रु.1000 करोड़ का निवेश किया जाएगा अथवा संयुक्ततः 1000 व्यक्तियों को अपने स्थायी नियोजन में रोजगार प्रदान किया जाएगा।

(5) AOP के सदस्य द्वारा प्रथम वाणिज्यिक उत्पादन 31 मार्च, 2030 से पहले प्रारंभ करना आवश्यक होगा।

(6) कुल पूंजी निवेश एवं रोजगार गणना की समय-सीमा:

(i) मान्य स्थायी पूंजी निवेश एवं रोजगार की गणना हेतु समय सीमा औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के परिशिष्ट-1 की कंडिका (17) में उल्लेखित समय सीमा के अनुसार होगी।

(ii) AOP को इस पैकेज का लाभ तभी प्राप्त होगा जब AOP के सदस्य औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के परिशिष्ट-1 की कंडिका (17) में उल्लेखित समय सीमा के भीतर संयुक्ततः न्यूनतम 1000 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करेगा।

(iii) न्यूनतम 1000 रोजगार प्रदान करने पर AOP को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ दिनांक से इस पैकेज के अंतर्गत उल्लेखित अतिरिक्त निवेश प्रोत्साहन एरियर्स के रूप में प्रदान किए जाएंगे।

(iv) स्थायी पूंजी निवेश के अंतर्गत भूमि, शेड/भवन, प्लांट/मशीनरी, विद्युत आपूर्ति, जल आपूर्ति, जलवायु नियंत्रण, आई.टी. डिज़ाइन, सी.ए.डी./सी.ए.एम. एवं कंप्यूटर, उत्पादन संबंधी फर्नीचर, डी.जी. सेट, अग्निशमन हाइड्रेट, ई.टी.पी., एस.टी.पी., ज़ेड.एल.डी. तथा श्रमिकों के लिए डॉरमेट्री सम्मिलित होंगे।

(7) AOP के सदस्यों को प्रथम वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने से प्रथम वर्ष में अपने स्थायी नियोजन में न्यूनतम 50%, 3 वर्ष के भीतर न्यूनतम 75% एवं प्रथम 5 वर्षों में न्यूनतम 90% छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को रोजगार प्रदान करना होगा।

4. इस पैकेज में उल्लिखित शब्दों का अर्थान्वयन औद्योगिक विकास नीति 2024-30 एवं इसके क्रियान्वन के लिए बने नियमों के अनुसार होगा। इस पैकेज का क्रियान्वयन सम्बंधित छूट, अनुदान, प्रतिपूर्ति हेतु जारी नियमों में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा, तथा आवश्यक दिशा-निर्देश एवं मार्गदर्शन छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा जारी किए जा सकेंगे।

यह अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से प्रवृत्त माना जाएगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 18th July 2026

NOTIFICATION

No. PROJ-41011/349/2026-C&I.— The State Government is satisfied that it is necessary in the public interest to accelerate industrial development in the State. Therefore, the State Government, in pursuance of the provisions mentioned in Para (12.29) of the Chhattisgarh State Industrial Development Policy 2024-30 and Para 14 of Chapter C-2 thereof, hereby determines the Special Investment Incentive Package (Bespoke Package) for M/s Narol Textile Infrastructure and Enviro Management (NTIEM) and its member industries, for investment in the "Textile" sector in the State, for establishment of a large industry in the State through industrial investment promotion, as follows:-

1. Provisions have been made in Chapter C-2 of the Industrial Development Policy 2024-30 for industrial investment promotion for the "Textile/Garment Sector". M/s Narol Textile Infrastructure and Enviro Management (NTIEM) has proposed to invest approximately Rs. 5,000 crore in the Textile/Garment sector in the State for integrated textile manufacturing and a private industrial park, generating employment for approximately 25,000 persons.

2. Under this package, item-wise approval of subsidies/ exemptions/ concessions is granted for the said enterprise as follows:-

(1) The unit shall be provided the following investment incentives under this package:

(i) Fixed Capital Investment Subsidy: 50%, employment multiplier: 1–1.5, export multiplier: 1 - 1.2, distributed over ten years.

(ii) Interest Subsidy: 5%, for 7 years from the date of commercial production.

(iii) EPF Subsidy: 75% of the employer's (AOP member's) contribution, for 7 years.

(iv) Employment Generation Subsidy: Rs. 5,000 per male employee per month, Rs. 6,000 per female employee per month, for 5 years per employee, maximum up to 7 years from the date of first commercial production. The subsidy shall be payable on wages payable from three months prior to commencement of commercial production.

(v) Training Stipend Reimbursement: One month's wage, maximum Rs. 15,000 per employee, subject to a maximum ceiling of 100% of the eligible Fixed Capital Investment. (For domicile/original residents of Chhattisgarh)

(vi) Electricity Subsidy: subsidy on green energy consumption at the rate of Rs.1per unit, for 10 years from the date of first commercial production.

(2) The Fixed Capital Investment Subsidy shall be linked to turnover as follows:

Year	Turnover Target (for AOP) (Rs. in crore)
First	500
Second	1000
Third	1500
Fourth	2000

Year	Turnover Target (for AOP) (Rs. in crore)
Fifth	2500
Sixth	2900
Seventh	3300
Eighth	3700
Ninth	4100
Tenth	4500

Percentage of Target Achieved	Percentage of Subsidy
More than 80%	100%
70% - 79%	90%
60% - 69%	75%
50% - 59%	60%
Less than 50%	Nil

(3) The employment multiplier shall vary from 1.0 to 1.5, based on the employment generated by AOP as per following:

Employment	Employment Multiplier
Up to 999	1.0
1000 - 4999	1.1
5000 - 9999	1.2
10000 - 14999	1.3
15000 - 19999	1.4
20000 or more	1.5

3. This package shall be subject to the following conditions:-

(1) Narol Textile Infrastructure and Enviro Management (NTIEM) shall be required to obtain Udyam Aakanksha Registration.

(2) Narol Textile Infrastructure and Enviro Management (NTIEM) shall be provided the investment incentives mentioned in Para 12.13 of the Industrial Development Policy 2024-30 for developing the Private Industrial Park.

(3) Narol Textile Infrastructure and Enviro Management (NTIEM) shall develop basic common infrastructure and facilities in the private industrial park, and land shall be allotted to its members. Manufacturing enterprises shall be established by the AOP members on the land so allotted to them.

(4) The AOP shall be eligible for investment incentives, and shall receive the benefit of this package, only if a minimum investment of Rs.1,000 crore is made jointly by its members, or employment is provided to total 1,000 persons in their permanent employment.

(5) AOP members shall be required to commence first commercial production before 31 March 2030.

(6) Timeline for computation of total capital investment and employment:

(i) The timeline for computation of eligible Fixed Capital Investment and employment shall be as per the timeline mentioned in Para (17) of Annexure-1 of the Industrial Development Policy 2024-30.

(ii) The AOP shall receive the benefit of this package only if the AOP members jointly provide employment to a minimum of 1,000 persons within the timeline mentioned in Para (17) of Annexure-1 of the Industrial Development Policy 2024-30.

(iii) Upon providing minimum employment of 1,000 persons, the AOP shall be provided the additional investment incentive arrears under this package, from the date of commencement of commercial production.

(iv) Fixed Capital Investment shall include land, shed/building, plant & machinery, electricity supply, water supply, climate control, IT design, CAD/CAM and computers, production-related furniture, DG set, fire-fighting hydrant, ETP, STP, ZLD, and dormitories for workers.

(7) AOP members shall be required to provide employment, in their permanent employment, to a minimum of 50% domicile/original residents of Chhattisgarh in the first year from commencement of first commercial production, a minimum of 75% within 3 years, and a minimum of 90% within the first 5 years.

4. The interpretation of the terms mentioned in this package shall be as per the Industrial Development Policy 2024-30 and the rules framed for its implementation. Implementation of this package in respect of the concerned exemptions, subsidies, and reimbursements shall be carried out as per the procedure mentioned in the rules issued therefor, and necessary guidelines and directions may be issued by the Government of Chhattisgarh, Department of Commerce and Industry.

This notification shall be deemed to be effective from the date of its issue.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RAJAT KUMAR, Secretary.